

परिषद के

के अन्तर्गत वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, बलिया एवं गोण्डा नगरों के आवासीय/व्यवसायिक, भूखण्डों, दुकानों, कम्युनिटी फेसिलिटी भूखण्डों एवं भवनों की नीलामी/आवंटन

नीलामी/आवंटन : 25.03.2017 एवं 31.03.2017 समय: प्रातः 10:30 बजे

नीलामी स्थल: नवीन भवन सभा कक्ष उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या

कुल संख्या

क्षेत्रफल वर्गमी. में

आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर

अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)

टोकन/पंजीकरण धन-राशि (लाख में)

डोमरौली योजना, मिर्जापुर

व्यवसायिक भूखण्ड सं.-सी.पी.-114/1(अनारक्षित)	01	76.29	17920.00	-	1.37
व्यवसायिक भूखण्ड सं.-सी.पी.-114/3(अनारक्षित)	01	77.34	17920.00	-	1.39

हृत्पुर योजना, बलिया

व्यवसायिक भूखण्ड सं.-2 ए/सी.पी.-2 (अनारक्षित)	01	97.95	29120.00	-	2.86
---	----	-------	----------	---	------

शाहपुर योजना, सं. 2/3 गोरखपुर

दुकाने-LGFS-6,7,12	03	9.922	1129219.00 प्रति नग		1.13 नीलामी
दुकाने-LGFS-2,3,4,5,8,9,10,11	08	9.633	1095609.00 प्रति नग		1.10 नीलामी

सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर

आवासीय भूखण्ड डी- 2/1		255.00	17920.00 प्रति वर्ग मी.		2.30 नीलामी
-----------------------	--	--------	-------------------------	--	-------------

वैम्बे योजना, हरैया, बस्ती

आवासी भवन वैम्बे 15/25 बी.पी.एल. कार्ड धारकों हेतु	24	25.00	40000.00 प्रति नग		0.05 लॉट्री द्वारा
--	----	-------	-------------------	--	--------------------

अवधपुरी योजना, फैजाबाद

व्यवसायिक भूखण्ड सं.-7	01	208.96 व.मी.	16800.00	35.11	3.52
कियोस्क के-1 से के-4 (अनारक्षित)	04	400 व.मी.	-	1.8 प्रति नग	0.18 प्रति वर्ग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	200 व.मी.	-	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति वर्ग

भरतपुरी योजना, गोण्डा

प्राइमरी स्कूल भूखण्ड फेस-2 (अनारक्षित)	01	1587.50 व.मी.	8470.00	0.135 लाख	13.35 नीलामी
प्राइमरी स्कूल भूखण्ड फेस-3 (अनारक्षित)	01	1826.82 व.मी.	8470.00	0.155 लाख	15.50 नीलामी

नोट : तहसील हरैया, जनपद बस्ती के अन्तर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची में अंकित व्यक्तियों (बी.पी.एल. कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु.-5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, बस्ती की नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी.पी.एल. कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, बी 60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना : समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद् आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। 2. सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100 जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। 3. आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हों' के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा। 4. सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

नोट : दिनांक 25 मार्च, 2017 को आवंटन/नीलामी में अवशेष तथा अन्य आफर सम्पत्तियों का निस्तारण आवंटन/नीलामी के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2017 को सम्पन्न की जायेगी। जिसकी अध्याविधिक सूचना भी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

परिषद की विभिन्न योजनाओं के बकायेदारों हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) की सुविधा मार्च, 2017 तक उपलब्ध है।

जन-सुविधा केन्द्र

परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें

1800-180-5333(टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700 : 2005



सेवाएँ प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

• Website: <http://www.upavp.com> • Email: info@upavp.com

परिषद की सम्बन्धित समस्या हमसे करें

